sanctioned strength of 60 in the Allahabad High Court. Of the permanent vacancies, five arose in each of the years 1990 and 1989, and one in 1988. Five posts of Additional Judges have been vacant for a longer period. The process of consultation with the Constitutional authorities for filling up these vacancies is on.

(b) As on 30-6-1989, there were 2,67,060; 1,68,755 and 30,868 cases pending for over 3 years, 5 years and 10 years respectively.

Distribution of Re-rollable Steel Material

*239. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether huge quantities of re-rollable steel material is being distributed under the decision of Director (Commercial), SAIL to many steel re-rolling units which do not posses Carry on Business (COB) Licence or Industrial Licence and without verifying the number of employees employed by those units since July, 1988, thus violating the relevant orders;

(b) whether the Regional Development Commissioner, Iron and Steel, Secunderabad raised objection to above stated irregular decision of the Director (Commercial), SAIL; and

(c) if so, what action Government propose to take in the matter and to prevent recurrence of such cases in future?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI): (a) Government have no evidence to held that supplies to re-rolling units are being made by SAIL contrary to relevant regulations.

(b) The Regional Development Commissioner for Iron and Steel, Hyderabad, had raised doubts about the supplies of re-rollables by SAIL and these were examined and settled by Govt.

(c) It is proposed to issue more explicit instructions to clarify the position further.

राजस्थान से स्वीकृति हेतु प्राप्त लंबित सिंचाई परियोजनाएं

*240. **डा० अबरार अहमद खान** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय से संबंधित राजस्थान से प्राप्त अनेक परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनाएं कब से लंबित हैं और उन्हें अब तक स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ;

(ग) राजस्थान में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और इन में अब तक की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस परियोजनाएं के कब तक पूरा हो जाने की आशा है और इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनु भाई कोटाडिया) : (क) और (ख) तीन बृहद सिंचाई परियोजनाएं नामशः नोहर, सिद्धमुख और जेसमांड और दो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं नामशः गरारदा और गम्भीरी आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाएं नवम्बर, 1988 से अगस्त, 1989 की अवधि के दौरान केन्द्र में निवेश स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है। परियोजनओं की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं की अनुपालना पर निर्भर करती है।

(ग) मार्च, 1990 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II को 125.7 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। जबकि मुख्य नहर पूरी हो गई है, शाखा नहरों और वितरण प्रणाली